संख्या-21/2016/5/29-5-2016-10(सा0)/15

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 मई, 2016

विषय:-मण्डी लेबर चार्जेज हेतु निर्धारित मदों की धनराशि में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-ले0शा0/3207/खा0-1/मण्डी लेबर चार्ज/2015 दिनांक 30 जून, 2015 एवं पत्र संख्या-ले0शा0/4386/मण्डी लेबर चार्जेज/2014-15 दिनांक 1-1-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 के पत्र संख्या-पी0-382/29-5-99-5(5)/8 दिनांक 05 मई, 1999 के प्रस्तर-3 में हैण्डलिंग ठेकेदारों के पारिश्रमिक दरों के भुगतान हेतु निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार नये दरों का निर्धारण इस सहमति के साथ किया जा रहा है कि स्थानीय दरों का निर्धारण टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा तथा टेन्डर से स्वीकृत होने वाली दरें निम्नलिखित तालिका में अंकित दरों से अधिक नहीं होगी:-

क्र0सं0	मद	प्रति कु0 अधिकतम दर(रू0 में)
1	2	3
1	खाद्यान्नों की बोरों में भराई, तुलाई बांट-माप, सुतली का प्रबन्ध, 16 टांकों की सिलाई तथा मार्किंग एवं बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना।	9.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	बोरों का स्थानीय चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवा कर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी।	1.20
	योग	10.90

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-243/दस-10(सा0)/2015 दिनांक 13 मई, 2016 में प्रदत्त उनकी सहमति से इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किये जा रहे है कि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा, और उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरी की पूरी की जायेगी।

भवदीय,

हरिश्चन्द्र
उपसचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-1, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
5- समस्त संभागीय विपणन अधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
6- समस्त संभागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी उ0प्र0।
7- वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8- समस्त कार्य संस्थायें, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.,
कार्यालय का पता

पत्रांक : /धा.ख./हैण्ड.–परि./निविदा प्रकाशन/जनपद का नाम/2017–18 दिनांक :

अनुलग्नक–1

दैनिक समाचार पत्रों में सूचना विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर प्रकाशनार्थ निविदा सूचना प्रारूप।

अल्पकालीन निविदा सूचना

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

भारत सरकार/शासन की केन्द्रीयकृत खरीद योजना के अन्तर्गत धान क्रय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जनपद ..... में निगम द्वारा धान की निम्न केन्द्रों की हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु दिनांक ..... अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा उ.प्र. सरकार की वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ हैण्डलिंग कार्य हेतु ₹ 2,000 (रूपया दो हजार मात्र) परिवहन कार्य हेतु ₹ 10,000/– (रूपया दस हजार मात्र) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम के पक्ष में ..... के रूप में संलग्न किया जाना एवं निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त सूचनाओं का भरा जाना अनिवार्य है। प्राप्त निविदा प्रपत्र निगम की गठित जिला स्तरीय व उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक ..... को सायं 4.00 बजे खोले जायेगें।

क्र0सं0	केन्द्र का नाम	क्र0सं0	केन्द्र का नाम	क्र0सं0	केन्द्र का नाम
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	

अनुलग्नक–2

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,
17–गोखले मार्ग, लखनऊ।

जिला कार्यालय का नाम.....

:: निविदा शर्ते ::

भारत सरकार/शासन की मूल्य समर्थन योजना धान क्रय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के किसानों से क्रय किये जाने वाले धान की हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य ठेके पर किये जाने हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदाताओं द्वारा निम्न शर्ते एवं उपबन्धों का पूर्ण किया जाना अनिवार्य है–

1– निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र को ध्यान पूर्वक पढ़कर व समझकर उसकी प्रत्येक रिक्तियों को भरा जाना एवं अपेक्षित सूचना संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अपूर्ण निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।

2– निविदा प्रपत्र पर आवेदक के पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, लगायी जायेगी।

3– निविदा प्रपत्र के साथ हैण्डलिंग कार्य हेतु ₹ 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) एवं परिवहन कार्य हेतु ₹ 10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. अथवा निगम के पक्ष में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा/संलग्न करना होगा।

4– केन्द्रीयकृत धान खरीद योजना के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न है, प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक–पृथक निविदा स्वीकार की जायेगी।

5– राजकीय/अर्द्धराजकीय/सहकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त निविदादाता को वरीयता दी जायेगी तथा इन विभागों से नोड्यूज प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

6– निगम द्वारा निविदा स्वीकार किये जाने पर निविदादाता/नियुक्त ठेकेदार द्वारा समस्त औपचारिकतायें जैसे निगम के साथ निर्धारित प्रारूप पर संविदा हैण्डलिंग कार्य के लिए जमानत के रूप में ₹ 10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र) एवं

परिवहन कार्य के लिये ₹ 25,000.00 (रूपया पच्चीस हजार मात्र) अथवा क्रय केन्द्र पर वर्ष 2017–18 धान सीजन में क्रय केन्द्र पर अधिकतम खरीद के एक दिन की खरीद के दस प्रतिशत की धनराशि के बराबर धनराशि जो भी अधिक ही देय होगी तथा फाइडेलिटी बाण्ड ₹ 60,000.00 (रूपया साठ हजार मात्र) की बैंक गारन्टी, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा हैण्डलिंग ठेकेदार ₹ 30,000.00 (रूपया तीस हजार मात्र) की धनराशि की फाइडेल्टी गारन्टी अथवा बैंक गारन्टी या राष्ट्रीय बचत पत्र प्रति केन्द्र जो भी अधिक हो, देय होगी। पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर तीन प्रतियों में इत्यादि औपचारिकतायें एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

7– परिवहन निविदादाता के नाम से कम से कम सात ट्रकें होना चाहिए। निविदादाता द्वारा उक्त वाहनों को स्थायी व्यवस्था किराये इत्यादि पर किसी प्रसंविदा के अन्तर्गत की गयी है तो उक्त सम्बन्धी समस्त स्वामित्व व बच्चों में होने सम्बन्धी प्रपत्र की प्रतियाँ, निविदा प्रपत्र के साथ लगायी जायें। इसके अतिरिक्त उक्त वाहनों के रोड टैक्स, रोड परमिट टैक्स बीमा तथा वाहन के चालू हालत में होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज से प्रमाण–पत्र इत्यादि की प्रति लगायी जायें।

8– परिवहन ठेकेदार द्वारा केन्द्र पर एक ट्रक लोड स्टाक होते ही भा0खा0नि0/खाद्य विभाग को सम्प्रेषित कराया जाना अनिवार्य होगा। सम्प्रेषित माल की पूर्ण सुरक्षा हेतु तिरपाल आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी।

9– यदि क्रय केन्द्र पर किसी प्रकार की क्षति पायी जाती है तो हैण्डलिंग ठेकेदार से अनुबन्ध पत्र के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

10– यदि क्रय केन्द्र से भा0खा0नि0/खाद्य विभाग को सम्प्रेषित स्टाक में किसी प्रकार की क्षति होगी तो अनुबन्ध पत्र के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

11– यदि निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन कार्य न करने पर निगम अन्य वैकल्पिक साधनों से हैण्डलिंग/परिवहन कार्य कराने हेतु सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में निगम के द्वारा करायें गये हैण्डलिंग/परिवहन कार्य से हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति

निविदादाता को करना होगा, अन्यथा निगम उसकी वसूली निविदादाता/नियुक्ति ठेकेदार के देयकों/जमानत आदि से वसूली के सक्षम होगा।

12– निविदादाता/नियुक्त ठेकेदार द्वारा वाहनों एवं लेबर की व्यवस्था के समबन्ध में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। अर्थात् इस व्यवस्था के लिए निगम किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा इसके अतिरिक्त नियुक्त ठेकेदार को वाहनों के क्षतिग्रस्त होने अर्थात् इन वाहनों से लेबर/जनसाधारण को पहुॅची क्षति के लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगें, अर्थात् इन समस्त मामलों में निगम किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।

13– यह निविदायें धान क्रय योजना वर्ष 2017–18 हेतु आमंत्रित है अतः केन्द्रीकृत धान खरीद योजना के कार्य हेतु ही वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृति की जायेगी।

14– भा0खा0नि0/खाद्य विभाग द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्लान के अनुसार ही परिवहन ठेकेदार को भा0खा0नि0 डिपो/खाद्य विभाग के गोदामों पर क्रय केन्द्र से सम्प्रेषित करना होगा। यदि मूवमेन्ट प्लान के अतिरिक्त अन्य डिपो पर स्टाक सम्प्रेषित किया जाता है तो निगम द्वारा अलग से किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

15– भा0खा0नि0/हाट शाखा/खाद्य विभाग के गोदाम पर अनलोड न होने की दशा में या समय अधिक लगने में अतिरिक्त भाड़ा निगम द्वारा देय न होगा।

16– निविदादाता/नियुक्त ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा निगम को पहुॅची क्षति की वसूली निगम द्वारा भू–राजस्व की भॅाति किये जाने का अधिकार होगा।

17– यदि निविदादाता कम्पनी है या टेण्डर के साथ कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोशिएसन एवं मेमोरेन्डम ऑफ एसोशिएसन संलग्न करेगा, यदि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो तो सभी पार्टनर के स्थायी पते एवं कार्यालय के पते से सम्बन्धित पार्टनरवार एफीडेविड, पार्टनरशिप डीड एवं फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ संलग्न करेगा, यदि सील प्रोपाइटरशिप रजिस्टर फर्म हो तो वर्ष का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी पते एवं कार्यालय पते के सम्बन्ध में एफीडेविट टेण्डर के साथ संलग्न करेगा एवं यदि सोसाइटी हो तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र सोसाइटी के बायलाज एवं समस्त पार्टनर के स्थायी पते एवं

कार्यालय का एफीडेविट टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही तीन वर्षों की बैलेन्सशीट भी संलग्न करनी होगी, जो सी0ए0 से प्रमाणित हो अथवा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न सी0ए0 से प्रमाणित हो।

जिला प्रभारी
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0

अनुलग्नक–3

उ0प्र0राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,
17, गोखले मार्ग– लखनऊ

कार्यालय.....

जिला कार्यालय.....

पासपोर्ट साइज फोटो

निविदा प्रार्थना–पत्र

केन्द्रीयकृत धान खरीद योजना के अन्तर्गत धान क्रय कार्य के हैण्डलिंग/परिवहन ठेके हेतु।

1– आवेदक का नाम .....
2– आवेदक के पिता का नाम .....
3– पता (स्थायी) .....
पता (वर्तमान) .....
टेलीफोन नम्बर .....
4– फर्म का नाम व पता
(यदि फर्म की ओर से .....
आवेदन किया गया हो।) .....
5– फर्म का टेलीफोन नम्बर .....
6– फर्म की प्रकृति/ साक्षेदारी/कम्पनी.....
7– फर्म की कम्पनी का रजिट्रेशन नम्बर.....
8– फर्म/कम्पनी में आवेदक की स्थिति.....
9– आवेदक/ फर्म/कम्पनी का राजकीय/
अर्द्ध राजकीय निगम में कार्य अनुभव
(प्रति संलग्न की जायें) .....
10–फर्म/कम्पनी द्वारा आवेदक को प्रदत्त
अधिकार का प्रमाण पत्र .....
(प्रति संलग्न की जायें)
11–आवेदक/फर्म/कम्पनी का आयकर खाता संख्या.....
12– आवेदक/फर्म/कम्पनी की निजी/किरायें आदि पर
लिये गये परिवहन साधनों की संख्या .....
13– किरायें इत्यादि पर लिये गये वाहनों .....
से सम्बन्धित अधिकार पत्र (प्रति संलग्न की जायें)

14– निजी वाहनों का रजिट्रेशन सम्बन्धी.....
प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न की जाय)
15– वाहनों की लोडिंग क्षमता.....
16– निविदा प्रपत्र के साथ जमा की जा रही.....
अर्नेष्टमनी का विवरण।
17– हैण्डलिंग कार्य की दरें जो शासनादेश से अधिक न हो.....
18– परिवहन कार्य की दरें जो जिलाधिकारी दरों से अधिक न हो.....
19– यदि आवेदक/फर्म/कम्पनी के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित है अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्ड दिया गया है अथवा किसी राजकीय/अद्ध राजकीय/सार्वजनिक निगम इत्यादि द्वारा डिवार किया गया हो तो प्रति संलगन की जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर
वास्ते फर्म/कम्पनी

घोषणा

मैं ..... पुत्र श्री.....
शपथ लेकर घोषणा करता हूॅ कि इस निविदा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित समस्त विवरण मेरे संज्ञान में सत्य है और किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है इसके अतिरिक्त मुझे इस निविदा पत्र में संलग्न निविदा शर्ते स्वीकार है और निविदा स्वीकार किये जाने पर अपेक्षित समस्त ओपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए तैयार हूॅ यदि भविष्य में उपर्युक्त वर्णित तथ्य गलत अथवा किसी तथ्य को छिपाया जाना पाया जाता है अथवा निविदा व नियुक्ति शर्तों के अनुसार अपेक्षित समस्त औपचारिकतायें तीन दिन के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती है तो उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 को अधिकार होगा कि उसके कार्यालय मे मेरे द्वारा जमा अर्नेष्टमनी जब्त कर लें, इस सम्बन्ध में मेरा भविष्य में कोई क्लेम नहीं होगा।

दिनांक...../

आवेदक के हस्ताक्षर
वास्ते फर्म/कम्पनी।

:: करार का पत्र ::

आज दिनांक.....2017.....तदनुसार शक सम्वत्.....को एक पक्ष के जिला प्रभारी ..... उ0प्र0राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम जिसे अन्य जिला प्रबन्धक/जिला प्रभारी कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिता भी है। और दूसरे पक्ष के श्री..... आत्मज श्री.....निवासी..... .....के मध्य एक करार किया गया।

चूँकि श्री/सर्व श्री.....जिला में उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम केन्द्रो द्वारा चलायें जा रहे..... जिला के समस्त क्रय केन्द्रों पर की प्राप्ति के सम्बन्ध में परिवहन कार्य के लिये ....प्रति कु0 प्रति किमी0 की दरों पर जिसका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक मुख्यालय, लखनऊ जिसे आगे निगम कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कर दिया गया है। संग्रह स्थल से भा0खा0नि0/खाद्य विभाग के गोदामों तक ट्रकों द्वारा धान के बोरों को ले जाने के लिए परिवहन संविदाकार जिसे संविदाकार कहा गया है। के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए सहमत हो गये है।

अतएव अब यह विलेख इस बात का साक्ष्य है कि और इसके पक्षकार एततद्वारा निम्नलिखित रूप के करार करते हैः—

1— कि संविदाकार या उसके प्राधिकृत.....जिला प्रभारी ....और क्रय केन्द्र प्रभारी के निर्देश पर निम्नलिखित दरों पर संविदा से सम्बन्धित परिवहन का प्रबन्ध करेगा।

2— कि संविदाकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता क्रय केन्द्र..... प्रभारी या उनके उच्चाधिकारियों की मॉग पर यथोचित और पर्याप्त संख्या में ट्रकों को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि संविदाकार आवश्यक संख्या में ट्रकों को भेजने में असफल रहता है तो केन्द्र का प्रभारी संविदाकार के जोखिम और खर्चे पर जो ऐसे समस्त अतिरिक्त प्रभारी व्ययों और हानियों को जिन्हें समय से धान का परिवहन करने में संविदाकार की ओर से असफलता के कारण विभाग उपगत या सहन करें, पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। उपर्युक्त के लिए अन्य व्यक्तियों या व्यक्ति को लगाने के लिए स्वतन्त्र होगा।

3— कि संविदाकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी स्टाक उसकी अभिरक्षा में रहे, सावधानी पूर्वक उसकी धराई, उठाई के लिए उत्तरदायी होगा और वह वर्षा या दुर्घटना द्वारा हुई किसी हानि के लिए अभिवहन के दौरान हुई हानि, किसी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा और वह निगम/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित दर पर ऐसी हानि और क्षति की पूर्ति करेगा। प्राधिकृत संविदाकार हानि और क्षति को रोकने के लिए अपेक्षित और समस्त अन्य वस्तुओं के लिए अपना निजी प्रबन्ध करेगा।

4— कि संविदाकार अपने द्वारा किये गये परिवहन कार्य के लिए अपनी पाक्षिक बिलों को हर प्रकार से पूर्ण रूप से भरकर तथा केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किये गये कार्य स्लिपों

ट्रक ड्राइवर स्लिपों को जिला प्रभारी अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा। वह अपने द्वारा किये गये कार्य का दैनिक लेखा रखेगा और धान के संचालन के लिए बीजक जारी करेगा।

5– कि संविदाकार परिवहन के लिए सौपें गये अनाज की पूरी मात्रा को गन्तव्य स्थान पर परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होगा और किसी अनाज का परिदान न करने या कम पारित करने की स्थिति में उसे निगमको ऐसे अनाज के मूल्य का भुगतान ऐसी दर पर करना पडेगा, जैसे निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाये जो अन्तिम निश्चय और संविदाकार पर आबद्ध कर होगा परन्तु यदि परिदान की गयी या कम परिदान की गयी अनाज का प्रचलित बाजार मूल्य उचित मूल्य का दुकानों पर महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक जिसका निगम एक मात्र निर्णायक होगा। ऐसे अनाज के फुटकर मूल्य से अधिक हो तो ऐसे अनाज के मूल्य की वसूली संविदाकार से ऐसे अनाज के उपर्युक्त प्रचलित बाजार का मूल्य के डेढ़ गुना या दुगुने के दर पर की जायेगी।

6– कि संविदाकार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का (3) के अधीन चोट या दुर्घटना द्वारा मृत्यु के लिए इस संविदा के सम्बन्ध में अपने द्वारा नियोजित किसी कर्मवार की ओर से प्रतिकर समस्त दावों की क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जिला प्रबन्धक करेगा।

7–संविदाकार इस करार के निबन्धों और शर्तो का सम्यक रूप से पूरा करने के लिए इस करार पर हस्ताक्षर करने (सात) दिन के भीतर .....रू0.....
की प्रतिभूति देगा और यदि वह इसके भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो निगम या तो इसे करार को तुरन्त समाप्त कर सकता है या अपने विवेक से करार के निबन्धों के अधीन संविदाकार को देय किसी धनराशि से धनराशि की कटौती कर सकता है और इस प्रकार की गयी कटौती की धनराशि की प्रतिपूर्ति के रूप में रख सकता है।

8– प्रतिभूति जमा निम्नलिखित रूप में होगीः–

1– नियन्त्रक के रूप में गिरवी रखे गये 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र या 10 वर्षीय रक्षा प्रमाण पत्र या 12 वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत प्रमाण पत्र

2– नियन्त्रक के पक्ष में गिरवी रखा गया डाकघर बचत पासबुक लेखा।

9– यदि इस उपबन्धों के अधीन समय ह्रित न किया गया हो तो प्रतिभूति जमा इस करार के पूर्व सम्पादन के पश्चात् और निगम को देय किसी धनराशि को संयोजन के पश्चात् और निगम द्वारा जारी किया गया अनादेय प्रमाण पत्र के संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर वापस कर दिया जायेगा।

10– निगम को इस करार के किसी अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदाकार को 7 दिन की लिखित नोटिस देकर करार को समाप्त करने का कोई कारण बताये बिना समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसी समाप्ति की दशा में संविदाकार सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं करेगा, इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए करार दिनांक .....2017 से दिनांक.....2017 .....तक प्रवृत्त रहेगा।

11–कि संविदाकार सहमत होता है कि संविदा के अधीन किसी कार्य के सम्पादन में उस ओर से कोई चूक होने की दशा या संविदा की किन्हीं शर्तों को पूरा करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिपूर्ति जमा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निगम द्वारा समयवृत किया जा सकेगा और निगम/जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा समयह्रण करने का आदेश देने का अधिकार होगा।

12– इस करार के अधीन संविदाकार के विरूद्ध देय या उससे वसूल की जाने वाली कोई धनराशि के महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक मुख्यालय लखनऊ के प्रमाण पत्र जो अन्तिम निश्चायक और संविदाकार पर आबद्ध कर होगा। उसमें भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

13– कि संविदाकार सहमत होता है कि ऐसे किसी विवाद का जो इस करार के किन्हीं निबन्धनों के समय में उत्पन्न हो विनिर्दिष्ट निगम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और निर्वधन अन्तिम और संविदाकार पर आबद्ध होगा।

14– कि किसी अभिवहन हानि की अनुमति नहीं दी जायेगी संविदाकार को निगम की ऐसी प्रत्येक प्रेषित धान के हानि के मामले में अनाज के डेढ़ गुने मूल्य तथा आनुसंगिक प्रभार क्रय कर व बोरा मूल्य का भुगतान निगम में जमा करना होगा।

15– परन्तु सदैव और एत्तद्वारा यह करार किया जाता है कि जब कभी इसमें दिये गये किसी प्रासंगिक या संविदा को विधिक रूप से तथा सम्भव पूर्णरूपेण व्यापक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ऐसा निवेदन आवश्यक हो, यह संविदाकार के अन्तर्गत उसके दामाद उत्तराधिकारी प्रतिनिधि और अनुज्ञात अभ्यर्थिनी भी है।

16– कि इस विलेख के तैयार करने और निष्पादन के समस्त व्यय जिसके अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क भी है संविदाकार द्वारा देय होगा।

इसके साक्ष्य में जिला प्रबन्धक के लिये और उसकी ओर से .....और संविदाकार की ओर से श्री.....ने प्रथम ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार पर हस्ताक्षर किये है।

निगम के लिए/इसके ओर से जिला प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया	**संविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया**
साक्षीः–	**साक्षीः–**
1.	**1.**
2.	**2.**

ठेकेदार की प्रमाणित
पासपोर्ट साइज फोटो

:: करार का पत्र ::

दिनांक.....2017.....तदनुसार सक सम्वत् .....को एक पक्ष के जिला पक्ष के जिला प्रभारी, जिला कार्यालय.....उ0प्र0राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 जिस पद के अन्तर्गत कार्यालय में उसे उत्तराधिकारी और समुनदेशिता भी है और अन्य पद के श्री ..... आत्मज श्री .....निवासी .....जो ....के नाम से मण्डी में कारोबार करते है या भारतीय भागीदारी के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/फर्म/कम्पनी मेसर्स ....जिला कार्यालय .....में है और..... .....मण्डी में कारोबार करता है। (जिसे आगे संचालक हैण्डलिंग संविदाकार कहा गया है) के मध्य करार किया गया ।

चूँकि उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 जिसे आगे निगम कहा गया है। ने .....जिलों में जिसके अधीन निगम वर्तमान में मण्डी स्थलों में या अनेक मण्डियों के आस–पास क्रय केन्द्र स्थापित करेगा और जहॉ कोई मण्डी नहीं है वहॉ जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के चुने हुए स्थानों में स्थापित किये जायेगें। विपणन वर्ष 2017–18 के दौरान धान क्रय करने का कार्य अपने हाथ में लिया है।

चूँकि जिला प्रभारी जिला कार्यालय .....जिस पद के अन्तर्गत उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, प्रत्येक क्रय केन्द्र पर केन्द्र प्रभारी और अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति करेगा और दाड़ द्वारा या अन्य साधनों से प्रत्येक केन्द्र के भू–गृहादि को इस प्रकार पृथक करेगा कि ऐसे कृषक जिन्हें उनके उत्पाद पर समर्थन मूल्य से उच्चतर दर पर बाजार मूल्य नहीं दिया जाता, केन्द्र के भू–गृहादि को आसानी से पता लगा सके और अपनी गाड़ियों या ट्रकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर निगम को धान बेचने के लिए ला सके।

और चूँकि निगम ऐसे व्यक्तियों को संचालन हैण्डलिंग संविदाकार के रूप में नियुक्ति करना चाहता है जो अपने निजी कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ दिन भर केन्द्रों पर स्वयं उपस्थित रहेगें, जिससे कि वे गाडियों या ट्रक से धान को चाहे वह बोरों में हो या खुला उतार सके। यदि कृषक स्वयं धान उतारने का काम न कर सके और संचालन संविदाकार की सेवाओं का उपयोग करना चाहे जिसके लिए निगम संचालन हैण्डलिंग संविदाकार की एतत् पश्चात् दिये गये प्रभार का भुगतान करेगा और उसकी वसूली सम्बन्धित कृषकों से निगम को इस प्रकार दिये गये धान के लिए उनकी मूल्य से करेगा।

और चूँकि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार धान को तौलेगा, उनके बोरे में भरना उनका मानकीकरण करेगा और मानकसुतली से सियेगा, बोरों में भरेगा, धान को केन्द्र भू–गृहादि

के भीतर चट्टा लगाने के लिए जायेगा, तत्पश्चात जब कभी ऐसी अपेक्षा की गयी हो बोरों को चट्टों से निकालेगा, उनको तौलेगा और उन्हें गाड़ियों में लादेगा।

और चूँकि उक्त.....के अनुरोध पर प्रबन्धक आगे दिये गये निबन्धनों और शर्तों पर जिला.....की तहसील.....के ग्राम.....में मण्डी के निकट.....केन्द्रों पर उसे संचालन हैण्डलिंग संविदाकार के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गये है।

अतएव अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और इसके पक्षकार निम्न प्रकार करार करते हैः—

1— संचालन हैण्डलिंग संविदाकार एतत्द्वारा वचन देता है और जिला प्रभारी के साथ प्रसंविदा करता है कि संचालन हैण्डलिंग संविदाकारः—

(।) दक्षतापूर्वक सरल गति से और व्यवहारिक नीति से और जिला प्रभारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर उसे दिये अनुदेशों और निर्देशानुसार नीचे वर्णित सेवाओं को करने के लिए उत्तरदायी होगाः—

(क) 1— यदि उपर्युक्त कृषकों द्वारा अपेक्षा की जाये तो निगम को बेचने के लिए उक्त केन्द्र पर उनके द्वारा लाये गये धान की मात्रा को गाडियों या ट्रकों से उतारेगा।

2— यदि उपर्युक्त कृषकों द्वारा अपेक्षा की जायें तो निगम को बेचने के लिए उक्त केन्द्र पर उनके द्वारा लाये गये धान की मात्रा को साफ करेगा।

(ख) यदि कृषक परिदान करने के पूर्व धान को स्वयं साफ करें तो ऐसे कृषकों के उपयोग के लिए निःशुल्क इस शर्त पर पर्याप्त संख्या में चलनियों की व्यवस्था करना चलनियों को ऐसे उपयोग बाद वापस कर दिया जायेगा।

(ग) धान के ऐसे स्टाक को जिसे उक्त कार्यों के लिए जिला प्रभारी द्वारा नियुक्त विपणन निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाये, तौलने के लिए समुचित संख्या में तुलाओं और बॉटों की व्यवस्था करेगा।

यदि संचालक हैण्डलिंग संविदाकार समुचित संख्या में तुलाओं और बॉटों की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जायेगा और इस मद में संचालन हैण्डलिंग संविदाकार से ₹ 500.00 रू0 पॉच सौ मात्र धनराशि प्रति मास ली जायेगी और उसके बिल से काट ली जायेगी।

(घ) खुले धान के बोरों में भरना उन्हें मानक का वजन बनाना, उसके द्वारा दी गयी मानक सुतली से मानक फन्दों की सिलाई मशीन से सिलना, केन्द्र के भू—गृह आदि में ऊचॉई में 16 छल्ली बोरा तक चट्टा लगाने के लिए उन्हें ले आना। परन्तु यह कि यदि बोरों की डिलीवरी के लिए संगहण डिपों में ट्रक उपलब्ध न हो तो केवल स्थानीय कच्चा चट्टों में उनका चट्टा लगाया जायेगा। यदि ट्रक उपलब्ध हो तो तौलने के पश्चात् बोरों को सीधे ट्रक में लाद दिया जायेगा और इस चट्टे स्थानीय कच्चा चट्टा लगाने के लिए संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को कोई प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में स्थानीय कच्चा चट्टा लगना आवश्यक न हो तो ऐसा केवल सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा कि केन्द्र पर सुसंगत दिनांक को वस्तुतः स्थानीय कच्चा चट्टा लगाया गया था।

(ड़) उपर्युक्त चट्टों के धान के बोरे को बाहर निकालना उनको तौलना और तत्पश्चात् उन्हें गाडियों जिनका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जायेगा में लादना।

(च) केवल निगम के लिए या यदि आवश्यक हो तो भारतीय खाद्य निगम/खाद्य विभाग के लिए और किसी अन्य के लिए नहीं। उक्त केन्द्र पर इस प्रकार के अधीन कार्य करना।

(छ) .....मण्डी में स्वयं न धान खरीदना और न ही बेचना।

(ज) अस्थायी शेड जेसे शामियाना आदि की व्यवस्था आदि की व्यवस्था करना और कृषकों के लिए केन्द्र के भू– गृहादि पर अन्य सम्पूर्ण रात्रि में आने वाले ठहराव के लिए पेयजल और रात्रि के लिए पेट्रोमैक्स आदि।

(झ) खुले अनाज ओर बोरें में भरे अनाज को वर्षा से बचाने के लिए 20X20 फिट आकार के पर्याप्त संख्या में त्रिपालों की व्यवस्था करना, संचालन हैण्डलिंग संविदाकार जो खाद्य विभाग/भा0खा0नि0 द्वारा निगम को सेन्ट्रल पुल/स्टेट पुल के लिए धान के लिए होगा, प्रतिकर का तथा उस पर वास्तविक अनुसांगिक व्यय का यदि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा पर्याप्त संख्या में त्रिपालों की व्यवस्था न कर सकने के कारण वर्षा द्वारा अनाज क्षतिग्रस्त हो जाये, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, उपर्युक्त धनराशि के भुगतान पर संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को अपनी निजी व्यय पर क्षतिग्रस्त धान को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

1– ऐसी कोई अन्य कार्य (धान की प्राप्ति से सम्बन्धित) जिसकी व्यवस्था इस करार में न की गयी हो ऐसी दरों पर करना जैसी परस्पर सहमत हो। उक्त सहमति प्रबन्ध निदेशक की संस्तुति के उपरान्त ही दी जाये जिसका भुगतान मुख्यालय से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

2– निगम को परिदत्त धान की किस्म (क्वालिटी) और जिला प्रभारी द्वारा अनाज की पैकिंग के लिए सम्भारित बोरियों का लेख ऐसी रीति में रखना जैसे जिला प्रबन्धक द्वारा विदित की जाये और ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जैसी निगम या जिला प्रभारी द्वारा विदित की जायें और इस सम्बन्ध में ऐसी अनुदेशों का अनुपालन करना, जैसा जिला प्रभारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किया जाये।

3– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार और उसके कर्मचारी संर्वदा जिला प्रभारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा। संचालन हैण्डलिंग संविदाकार अपने कर्मचारियों के उत्तम आचरण के लिए उत्तरदायी होगा और स्वयं की या अपने कर्मचारियों की अपेक्षा लापरवाही, प्रवीणता के अभाव या दुराचरण के कारण हुई हानि के लिए निगम को प्रतिकर देना पड़ेगा। जिला प्रभारी हैण्डलिंग संविदाकार के किसी कर्मचारी को जो उसकी राय में कार्य के निर्बाध संचालन में बाधा पहुॅचा रहा हो बदलने की मॉग करने का अधिकार होगा और संचालन हैण्डलिंग संविदाकार ऐसी किसी निर्देश का अनुपालन करेगा। संचालन हैण्डलिंग संविदाकार और उसके कर्मचारियों की अपेक्षा या दुराचार के कारण हुई हानियों के सम्बन्ध में जिला प्रभारी का विनिश्चय अन्तिम और संविदाकार पर आबद्ध कर होगा।

4– अपने या अपने कर्मचारियों की अपेक्षा के कारण या इस करार के अधीन किसी सेवा के न करने पर या करार के किसी निर्बन्धन का उल्लघन करने या किसी उत्तर दायित्व कार्य का सम्पादन न कर सकने के कारण निगम को हुई हानि या उसके द्वारा उपगत समस्त लागतों प्रभारों और संचालन हैण्डलिंग संविदाकार या

कर्मचारियों के किसी कार्य के कारण चाहे यह अपेक्षापूर्ण हो या अन्यथा निगम को या विशेषतः निगम के किसी सम्पत्ति को हुई क्षतियों या हानियों का भी लेनदार होगा। संचालन हैण्डलिंग संविदाकार की ऐसी असफलता और निगम द्वारा सहन की गयी हानियों आदि के लिए उसके दायित्व के सम्बन्ध में जिला प्रभारी का निर्णय अन्तिम और संचालन हैण्डलिंग संविदाकार का आबद्धकर होगा।

5– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार आम तौर से कृषकों के साथ शिष्टता का व्यवहार करेगा और एक परिवाद का अभिलेख रखेगें और इच्छापूर्वक किसी व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा जो किसी परिवाद का अभिलेख करने के अभिप्राय से उसकी मॉग करे और उसे प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2– यदि यह पाया जाये कि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार में निम्नलिखित कार्य किया गया है तब और किसी ऐसे अन्य माामले में भी संचालन हैण्डलिंग संविदाकार इस करार के समाप्त होने और प्रतिपूर्ति जमा के समयबद्ध हो जाने के अतिरिक्त (भारतीय दण्ड संहिता) के अन्तर्गत अपराधिक न्याय भंग के लिए या ऐसे अन्य अपराध या अपराधी के लिए जैसे ऐसी किसी अन्य विधि या अधिनियम के अधीन किया जाये जो तत्समय प्रवृत्त हो या जो एतत्द्वारा पश्चात् इस करार के जारी रहने के दौरान प्रदत्त किया जा सके, अभियोजित किया जा सकेगा।

(क) घटतौल

(ख) धान में घटित किस्म के खाद्यान्नों और मिट्टी आदि का मिलाना।

(ग) क्रीत धान की चोरी–चोरी और कपट से बिक्री करना।

(घ) अपने द्वारा रखे गये रजिस्टर में काल्पिनिक प्रविष्टियॉ दिखाना।

(ड़) धान को रोकना और जिला प्रभारी या उसकी ओर से किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार सम्प्रेषित न करना।

3– जिला प्रबन्धन को संचालन हैण्डलिंग संविदाकार से निगम को हुई या उसके उपगत किसी हानि या क्षति को जैसा कि इस करार में निर्विष्ट किया गया है, ऐसे किसी धनराशि से जो एतत्द्वारा पश्चात् किसी सीधे संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को इस करार के या निगम के साथ किसी अन्य संविदा के अधीन देय हो जाये वसूल करने का अधिकार होगा। यदि यह धनराशि निगम द्वारा दावााकृत और वसूली योग्य पूर्ण धनराशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न पड़ती हो तो संचालन हैण्डलिंग संविदाकार निगम को मॉग करने पर उपर्युक्त दावााकृत धनराशि की बकाया धनराशि का भुगतान करेगा।

4– निगम या जिला प्रभारी को अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की संविदायें जैसे कि यहाँ नीचे संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को उक्त केन्द्र के लिए दी गयी है, देने का अधिकार होगा और ऐसी सभी दशाओं में संचालन हैण्डलिंग संविदाकार किसी प्रतिकर हेतु दावा नहीं करेगा।

5– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार इस करार को उस पट्टे (सबलेट) पर नहीं देगा और न किसी को अभ्युर्पित करेगा।

6– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार खुले धान को यदि कोई हो जिला प्रभारी द्वारा सम्भारित किये जाने वाली बोरियों में पैक करेगा किन्तु यदि जिला प्रभारी बोरियों को नहीं देता है तो संचालन हैण्डलिंग संविदाकार जिला प्रभारी से नोटिस प्राप्त होने पर जो कम से कम तीन दिन की होगी, उक्त खाद्यान्न को अपने निजी नये

डी0डब्लू/बी0टी0/एस0बी0टी0, पी0पी0 बोरियों में पैक करेगा जिसकी लागत का भुगतान जिला प्रभारी द्वारा सम्बन्धित पखवारे के लिए अग्रिम रूप से घोषित बाजार दर/शासन दर पर किया जायेगा।

7– ऐसी बोरियों जिन्हें जिला प्रभारी द्वारा सम्भारित किया गया हो, किन्तु उक्त धान की पैंकिग के लिए वस्तुतः उसका उपयोग न किया गया हो तो संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा अपने निजी खर्चे पर उन्हें अच्छी हालत में जिला प्रभारी को वापस कर दिया जायेगा। ऐसा न करने पर वह उसकी लागत को जैसा कि जिला प्रभारी द्वारा निर्धारित किया जायें, भुगतान करेगा।

8– जिला प्रभारी को इस करार के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को सात दिन की लिखित नोटिस दे कर इस करार को समाप्त करने के लिए कोई कारण बताये बिना उसे समाप्त करने का अधिकार होगा ऐसी समाप्ति की दशा में संचालन हैण्डलिंग संविदाकार निगम के विरूद्ध कोई दावा नहीं करेगा।

9– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को जिला प्रबन्धन को लिखित रूप से 30 दिन की नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

10– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा की गयी संवाओं के प्रतिफल में निगम संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को निम्नलिखित का भुगतान करेगाः–

(क) उतराई के लिए.....प्रति कु0 की दर प्रभार जैसा खण्ड–क एक व्यवस्थित है।

(ख) .....के लिए .....प्रति कु0 की दर पर प्रभार जैसा खण्ड(क) 2 में व्यवस्थित है।

(ग) अपेक्षित संख्या में तुलाओं की व्यवस्था करने पैंकिग मानकीकरण, 16 फन्दों सुतली सिलाई करने, हैण्डलिंग अभिकर्ता द्वारा सुतली की व्यवस्था की जायेगी। चिन्हांकन करने और इससे अनुसांगिक समस्त कार्यो के लिए .....रूपये..... जैसे की दर प्रभार।

(घ) तौलने के तुरन्त पश्चात् तुला से सीध से ट्रकों में बोरों की लदाई के लिए..... पैसे प्रति कु0 की दर प्रभार।

(ड़) यदि तौलाई के समय लादनें के लिए ट्रक उपलब्ध न हो तो बोरों का स्थानीय कच्चा चट्टा लगाने के लिए.....पैसे प्रति कु0 की दर पर प्रभार।

(च) स्थानीय कच्चा चट्टा से बोरों को बाहर निकालने के लिए और केन्द्र भू–गृहादि के मीटर ऊॅचाई में 16 छल्लियॉ तक बोरों को चट्टा लगाने के लिए ..... पैसे प्रति कु0 की दर पर प्रभार।

(छ) खुले चट्टों से बोरों को बाहर निकालने तौलने यदि अपेक्षित हो और ट्रक या गाड़ियों में लादने के लिए.....पैसे प्रति कु0 की दर प्रभार।

(ज) अस्थाई शेड़ (शमियाना) आदि की व्यवस्था करने, जल का प्रबन्ध और रोशनी की व्यवस्था करने के लिए पानी वाले (वाटरमैन) के लिए .....रूपया प्रति माह और.....रूपया प्रति माह पैट्रोमैक्स प्रति रात्रि के लिए प्रभार।

(झ) जिला प्रभारी द्वारा घोषित दर पर.....मीटर तिरपाल की व्यवस्था करने के लिए किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को कोई

भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि उसके द्वारा एक केन्द्र पर केवल दो तिरपालों की व्यवस्था की गयी है।

(ट) यदि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा बोरों या सम्भरण किया गया हो जिला प्रभारी द्वारा घोषित दर पर बोरों का मूल्य।

2– संचालन (हैण्डलिंग) संविदाकार केन्द्र प्रभारी को बनाकर बिल प्रस्तुत करेगा। बिल हर प्रकार से पूरे होगें और उसके साथ सम्बन्धित कार्य की स्लिप होगें।

11– यह करार दिनांक.....से मार्च .....कि प्रदत्त रहेगा और दोनों में से किसी एक पक्षकार के विकल्प पर दूसरे पक्षकार को लिखित नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा जैसा कि इस करार में व्यवस्थित है। इस करार की समाप्ति पर दो दिन के भीतर संचालन हैण्डलिंग संविदाकार जिला प्रबन्धक या उसके प्रतिनिधि को अपने द्वारा रखे गये रजिस्टर और लेखें सौप देगा और अपनी अभिरक्षा में निगम की सम्पत्ति का यदि कोई हो पूर्ण लेखा भी देगा।

12– संचालन हैण्डलिंग संविदाकार इस करार पर हस्ताक्षर करने के 7 दिन के अन्दर इस करार को निबन्धों ओर शर्तो की सम्पर्क, प्रति के लिए.....रू0 में लाइसेंस के लिए प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त की प्रतिपूर्ति देगा और यदि वह इस अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो जिला प्रबन्धक या तो करार को तुरन्त समाप्त कर सकते है या अपने विवेक पर करार की निबन्धनों की अधीन संचालन हैण्डलिंग संविदाकार की देय किसी धनराशि में से उक्त धनराशि की कटौती कर सकता है और इस प्रकार से कटौती की गयी धनराशि को प्रतिपूर्ति के रूप में रख सकता है।

प्रतिभूति जमा निम्नलिखित किन्हीं रूप में होगा–

(1) जिला प्रभारी के पक्ष में गिरवी रखे गये 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र या 10 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र या 12 वर्षीय राष्ट्रीय आयोजन प्रमाण पत्र।

(2) जिला प्रभारी के पक्ष में गिरवी रखा गया डाकघर बचत बैंक पासबही खाता।

(13) यदि इसके उपबन्धों के अधीन समयवृत्त न किया गया हो तो प्रतिभूति जमा इस करार के पूर्ण सम्पादन के पश्चात् और निगम को देय किसी धनराशि के समायोजन के उपरान्त और संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा जिला प्रभारी द्वारा जारी किये गये नो ड्यूज प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जायेगा।

(14) इस करार को किसी शर्त का किसी शक्ल में सम्पादन न होने की स्थिति में जिला प्रभारी को करार को अभिशून्य करने, विखण्डित करने या रद्द करने की शक्ति होगी और संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को निम्नलिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत सूचित करने पर कि उसने ऐसा कर दिया वह करार पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा और उसके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति जिला प्रभारी द्वारा समहृत कर ली जायेगी और ऐसा करने पर वह निगम की सम्पत्ति हो जायेगी, संचालन हैण्डलिंग संविदाकार निगम को किसी अतिरिक्त लागत का भी भुगतान करेगा जो निगम द्वारा ऐसी समाप्त के ऐसी परिणामरूवरूप उपगत करनी पड़ी हो।

(15) निगम विधि द्वारा व्यक्तिगत किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संचालन हैण्डलिंग संविदकार से नीचे दिये गये समस्त देयकों को भू–राजस्व के बकायें की भॅति वसूल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश पारित करने के लिए कह सकता है।

(16) यदि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार सम्यक तत्परता और शीघ्रता से और पर्याप्त श्रम और सामाग्री से कार्य का निष्पादन करने में असफल रहता है या उसकी उपेक्षा करती है या संचालन हैण्डलिंग संविदाकार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रामिकों की संख्या में कमी या उसके द्वारा प्रस्तुत सामाग्री में कमी के सम्बन्ध में जिला प्रभारी या उसके प्राधिकृत/प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप उसको दिये गये किसी युक्ति युक्त आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या उसकी अपेक्षा करता है या इस करार के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो जिला प्रभारी शिकायत की गयी असफलता की उपेक्षा या इन्कार या उल्लंघन को पूरा करने के लिए संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को 3 दिन की लिखित नोटिस दे सकता है और यदि संचालन हैण्डलिंग संविदाकार नोटिस तामिल के दिनांक से युक्ति–युक्त समय के भीतर नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है और ऐसे मामले में जिला प्रभारी अन्य व्यक्तिओं को नियोजित करने में से ऐसे कार्य को जिसे संचालन हैण्डलिंग संविदाकार करने में असफल रहा हो इन्कार कर दिया हो या उपेक्षा कर दिया जो तुरन्त सम्पादित करने के लिए स्वतन्त्र होगा या यदि जिला प्रभारी उचित समझे तो उसके लिए वह विधि पूर्ण होगा कि वह संचालन हैण्डलिंग संविदाकार से कार्य को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ले ले और किसी अन्य व्यक्ति को युक्ति–युक्त मूल्य पर संविदा पत्र दे दे या कार्य पूरा करने के लिए किसी सामाग्री को दे दे और जिला प्रभारी ऐसे किसी अतिशेष को जो अन्यथा संविदा में उससे संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को देय हो या उसके ऐसे किसी भाग को जो उपर्युक्तानुसार ऐसे कार्य के निष्पादन के लागत के भुगतान के लिए आवश्यक हो उसे रोक लेने और उसे लगा देने का हकदार होगा।

यदि उपर्युक्त कार्य के निष्पादन की लागत संचालन हैण्डलिंग संविदाकार को देय इस कार्य को पूरा करने में असफल रहे तो जिला प्रभारी उ0प्र0 सरकार से (संचालन हैण्डलिंग) संविदाकार अतिशेष से अधिक हो और (संचालन हैण्डलिंग) संविदाकार भू–राजस्व के कार्य की भॅाति वसूल करने के लिए आदेश पारित करने के लिए कह सकता है।

17– इस करार या इसमें उल्लिखित प्रांसविदा या खण्ड या बात की विषय वस्तु से उत्पन्न या सरोकार रखने वाले या सम्बन्धित समस्त विवादों या अन्तरों को उक्त जिला प्रभारी की मध्यस्थता की निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति से समय–समय पर अधिनिर्णय तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ सकता है।

18– परन्तु यह सदैव और एततद्वारा यह सम्मत किया जाता है कि इसमें दिये गये किसी प्रसंविदा या संविदा को पूर्ण व्यापक बनाने और विधिक रूप से यथा शक्ति प्रभावी बनाने के लिए जहॉ कही ऐसा निर्वहन आवश्यक हो वहॉ पर संचालन हैण्डलिंग संविदाकार के अन्तर्गत उनके दामाद–उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समद्वेशिती भी हैं।

19– स्टाम्प शुल्क का वहन संचालन (हैण्डलिंग संविदाकार) द्वारा किया जायेगा। साक्ष्य में संविदाकार और निगम के लिए उसकी ओर से ..... अपने–अपने हस्ताक्षरों में उल्लिखित दिनांक पर इस करार पर हस्ताक्षर किये है।

(हस्ताक्षर)

निगम के लिए की ओर से जिला प्रभारी
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु
निगम लि0

(हस्ताक्षर)

संचालक हैण्डलिंग संविदाकार
साक्षी

1– (हस्ताक्षर)
नाम तथा स्थायी पता
.....

साक्षीः–
1–

2 – **2–** (हस्ताक्षर)
नाम तथा स्थायी पता
.....

3– (हस्ताक्षर)
नाम तथा स्थायी पता